



विकसित बिहार के 7 निश्चय



बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. – SPMU/02/2023

सूचना

एतद द्वारा राज्य के बाहर/राज्य के अंदर निजी एवं गैर सरकारी संस्थानों, निजी विश्वविद्यालयों सहित के प्राचार्य/ संचालक को विज्ञापन संख्या- SPMU/01/2022, दिनांक-16.09.2022 द्वारा नए संस्थानों के नाम एवं पाठ्यक्रमों को MNSSBY पोर्टल पर जोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए अंतिम तिथि 28.02.2023 किया गया था।

उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत् बिहार राज्य के छात्र-छात्राओं के हितों को देखते हुए विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्धारित समय के उपरान्त समर्पित आवेदनों को विभाग द्वारा प्रक्रिया में लाते हुए राज्य के बाहर/राज्य के अंदर निजी एवं गैर सरकारी संस्थानों के प्राचार्य/संचालक को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिहार के बाहर अवस्थित संस्थानों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-1462, दिनांक- 05.07.2019 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक अर्हता के आलोक में तथा बिहार के अंदर वैसे संस्थान जिनका मानक UGC/AICTE/राज्य विश्वविद्यालय एवं संबंधित राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त NOC अर्हता रखने वाले संस्थानों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत नए संस्थानों के नाम एवं पाठ्यक्रमों को MNSSBY पोर्टल पर जोड़ने हेतु इच्छुक सभी संस्थान अपना आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित सत्यापित अभिलेख एवं अनुलग्नकों के साथ संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति तथा email Id- spmubsc@bihar.gov.in पर माह अगस्त, 2023 से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

नोट :- 1. बिहार राज्य अवस्थित सभी निजी संस्थान के द्वारा NAAC/NBA/NIRF के संबंध में ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की प्रति उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। 2. उपर्युक्त से संबंधित सूचना एवं विहित प्रपत्र **website - <https://www.7nishchay.yuvaupmission.bihar.gov.in>** पर नोटिस टैब में उपलब्ध है।

प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BSCC

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना